:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार जैन

मूकदमा नम्बर 14 / 16 राजस्व वाद

1 श्रीमती तखी पुत्री कोया जाति लोहार उम्र वयस्क निवासी सादडीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1 श्रीमती कोदरी बेवा वाला लोहार निवासी इपलोडा तहसील मेघरज जिला अरवल्ली गुजरात

2 श्री पटवारी पटवार हल्का सादडीया तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

3 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1 श्री इन्दुलाल पाटीदार अधिवक्ता वादी

2. प्रतिवादीगण के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

:: निर्णय ::

दिनांक 30 / 12 / 2020

(1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजीयात मौजा सादडीया में खसरा नम्बर 1671 का रकबा 7.19 बीघा होकर स्थित है जिसपर वादीया जन्म से काबीज होकर काश्त करती आ रही है, वादीया अपने पिता की इक्लोती सन्तान है, तथा वादीया की माता वादीया के पिता के जीवन काल में ही वादीया के पिता को छोड कर अन्य नाते चली गई। वादीया के पिता स्व. कोया की मृत्यु हो जाने पर राजस्व कर्मीयो द्वारा बीना जॉच पडताल किए, वादीया की मासी कोदरी का नाम दर्ज रिकार्ड कर लिया है जबकि कोदरी वादीया की मॉसी है एवं वह गुजरात गॉव इपलोडा की निवासी वाला की पत्नी है, वही निवासरत है, कोदरी वादीया के पिता की पत्नी के रूप में कभी भी नहीं रही है ऐसे में वादग्रस्त आरजी मोजा सादडीया के खसरा सख्या 1671 में जरिये इन्तकाल सख्या 866 कें दर्ज नाम कोदरी बेवा कोया को हटाया जाना आवश्यक है। वादीया या उसके पिता द्वारा वादग्रस्त आराजीया या उसका कोई भी भाग प्रतिवादी सख्या 1 को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है।

(4) वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील के कोई उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीया की ओर से बयान लेखबद्ध किए गए। वादीया का वाद मय बयान एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिससे वादी का वाद डिकी किया जाना न्योयोचित प्रतित होता है ऐसे में वादीया का वाद डिकी किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अतः गॉव सादडीया कें खसरा सख्या 1671 का रकबा 7.19 बीघा में दर्ज नाम कोदरी बेवा कोया का नाम हटया जावे तथा सम्पूर्ण खाते की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के शान्तीपूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य के माध्यम से करावे। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा

आज दिनांक 30/12/2020 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री अनील कुमार जैन RAS

श्रीमती तखी **बनाम** कोदरी आदि

दावा:– अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राज.टी.एक्ट व धारा 136 एल आर एक्ट मुकदमा सख्या:– 41/16

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इन्दुलाल पाटीदार और प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। आज दिनांक 30/12/2020 को अनील कुमार जैन RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है और वादी का वाद डिकी किया जाता है कि:– **गॉव सादडीया कें खसरा सख्या 1671 का रकबा 7.19 बीघा में दर्ज नाम कोदरी बेवा कोया** का नाम **हटया जावे तथा सम्पूर्ण खाते की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित की** जाती है, **प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी** के शान्तीपूर्ण **कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य के माध्यम से** करावे। **तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना अवीलम्ब कर, पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।**

यह आज दिनाक 30/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

अनील कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा